न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 37/2017

अनवान :

1. रामजीलाल पुत्र गणपत राम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. रामस्वरूप पुत्र कान्हाराम जाति गोस्वामी निवासी रतनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. जगदीश पुत्र कानाराम जाति गोस्वामी निवासी रतनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. शंकरलाल पुत्र रणजीत जाति गोस्वामी निवासी रतनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. जेतादेवी पत्नी दाताराम जाति जाट निवासी वार्ड सं0 29 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. मनीराम पुत्र चन्दूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

3. राजकुमार
4. किरसन
5. पवन कुमार

पुत्रान लिखमीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

6. रामकुमार
7. अमरचंद

पुत्रान जयलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

8. सतीश कुमार
9. हरीश कुमार

पुत्रान करणीसिंह जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

10. दयाराम
11. हंसराम
12. रामप्रताप

पुत्रान पेमाराम जाति गुसाई निवासी रतनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

13. सतवीर
14. भागसिंह

पुत्रान रामकुमार जाति गुसाई निवासी रतनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

15. धर्मपाल
16. लिलूराम

पुत्रान सुरजाराम जाति जाट निवासी न्यांगल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

17. कृष्ण कुमार
18. रामलाल पुत्र हरदयाल जाति गुसाई निवासी रतनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
19. नेतराम पुत्र हरीराम जाति चमार निवासी रतनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

20. बलबीरसिंह
21. रामसिंह

पुत्रान लालचंद जाति चमार निवासी रतनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

22. कमला पत्नी सोहनलाल जाति चमार निवासी रतनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
23. विनोद पुत्र सोहनलाल जाति चमार निवासी रतनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
24. ओमप्रकाश पुत्र जेसाराम जाति मेघवाल निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
25. बाबूलाल पुत्र घीसाराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं0 19 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
26. सुरेश कुमार पुत्र घीसाराम जाति रैगर निवासी वार्ड सं0 19 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
27. देवीलाल
28. मनीराम
29. छोटूराम
30. राजेन्द्र
31. रामस्वरूप

पुत्रान नेकू उर्फ नेकीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

32. चन्द्रादेवी
33. विमला
34. सन्तोष

पुत्रियान नेकू उर्फ नेकीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

35. कृष्णा पत्नी मनफुल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
36. सुभाष
37. विजय

पुत्रान मनफुल जाति जाट निवासी रतनपुरा। तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

38. वीरसिंह
39. कृष्ण कुमार

पुत्रान नंदराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

40. ओमप्रकाश
41. हनुमान प्रसाद
42. रामलाल
43. बुधराम
44. राजकुमार

पुत्रान श्योचंद जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

45. रोहताश
46. बलवान
47. महेन्द्र

पुत्रान उदयराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

48. मेहरचंद
49. रामकुमार
50. कृष्ण कुमार

पुत्रान चेतराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

51. सुरेश पुत्र सावित्री (पुत्र धर्मपाल) जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
52. चावली पुत्री चेतराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
53. शकून्तला पत्नी शंकरलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
54. हरीसिंह पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
55. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

– अप्रार्थीगण

दरख्वास्त बाबत रास्ता स्वीकृत करने
अन्तर्गत धारा 251ए राज0काश्त0अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री किशनलाल यादव : **प्रार्थीगण**
वकील श्री रामकुमार कस्वां : **प्रतिवादी सं0 6 ता 9 व 11**
वकील श्री सुभाष शर्मा : **प्रतिवादी सं0 2, 4, 23, 29, 36**
वकील श्री विनोद कारेला : **प्रतिवादी सं0 1, 10 ता 13, 18**
निर्णय **दिनांक :** 17.5.18

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 7 बारानी में स्थित है गांव रतनपुरा की आबादी चक 7 बारानी में पड़ती है। प्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि खाता सं0 112/118 में मुरबा नं0 15, 20, 69 व 108 में कुल 2.278 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि है। इसी प्रकार प्रार्थी सं0 2 रामस्वरूप की कृषि भूमि खाता सं0 118/142 के मु0नं0 159, 73, 74 में कुल 2.783 है0 बारानी खातेदारी भूमि तथा प्रार्थी संख्या 3 व 4 की कृषि भूमि खाता संख्या 33/38 मु0नं0 64, 65, 68, 69, 70, 71 में 14.927 है0 में से संयुक्त खाता में 75–75 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज है।

उपर वर्णित कृषि भूमि में आवागमन हेतु गांव रतनपुरा की आबादी भूमि जो मुरबा नं0 56 में पड़ती है, से चल कर रास्ता मुरबा नं0 57, 58, 59 में से सीधा जाता है। मुरबा नं0 58 में मुख्य रास्ता से दक्षिणी तरफ मुरबा नं0 75, 74, 73, 72, 71, 70 में से होकर के प्रार्थीगण अपने खेतों में जाते है तथा मु0नं0 85, 92, 107 में से होकर के आगे भादरा शहर की सड़क में मिल जाता है। गांव रतनपुरा में आवागमन करने का सब से छोटा, पूराना एवं सुविधाजनक रास्ता यही रास्ता है। प्रार्थीगण एवं अन्य ग्रामवासी इसी रास्ता से होकर के आवागमन करते रहे है। यह रास्ता गांव बसने के समय से चालू है तथा वर्तमान में भी आवागमन करने हेतु ऊंट–गाडा, ट्रैक्टर एंव अन्य साधन इसी रास्ता से होकर के काश्तकार ले जाते रहे है।

उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खेत मुरबा नं0 69 व 86 में जाने हेतु तथा भादरा शहर में जाने हेतु मुख्य रास्ता प्रार्थीगण के खेत के चिपते ही स्थित जोहड़ी जो वर्तमान में चक 7 बारानी के खाता सं0 175/193 में अप्रार्थी सं0 54 हरीसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। हालांकि हरिसिंह का आवंटन खारिज हो चुका है तथा मौके पर उक्त भूमि जोहड़ी के रूप में खाली पड़ी है। उसमें से होकर के आगे अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि खाता संख्या 39/44 के मु0न0 70 के किला नं0 17, 18 में से होकर अप्रार्थीगण सं0 2 ता 5 की कृषि भूमि खाता सं0 82/99 के मु0नं0 70 के किला नं0 16 ता मु0नं0 71 के किला नं0 16 ता 20 व मु0नं0 72 के किला नं0 18 ता 20 में उतरी तरफ तथा उससे आगे अप्रार्थी सं0 6 ता 9 के खाता सं0 34/34 के मु0नं0 72 के किला नं0 14, 15 व मु0नं0 73 के किला नं0 11 ता 15 में दक्षिणी तरफ होकर के मु0नं0 73 के किला नं0 15 में उतरी ओर एक किला चलकर आगे अप्रार्थीगण सं0 10 ता 18 के खाता सं0 45/53 में स्थित मु0नं0 74 के किला नं0 6 ता 10 में दक्षिणी तरफ तथा उसके बाद में अप्रार्थीगण 19 ता 26 के खाता सं0 166/184 के मु0नं0 75 के किला नं0 1, 2, 10 में से तिरछा उतरी ओर तथा मु0नं0 58 के किला नं0 18 व 22 में से तिरछा उतरी होते हुए आगे अप्रार्थी संख्या 27 से 53 के खाता सं0 121/64 में स्थित मु0नं0 58 के किला नं0 14 में तिरछा उतरी ओर स्थित मुख्य रास्ता में जाकर

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

के मिल जाता है। उक्त रास्ता मुरबा नं0 125 की 1.012 है0 भूमि में 0.050 है0 तथा मुरबा नं0 73 के किला नं0 15 में 0.050 है0 तथा शेष सभी किलों में प्रत्येक में 0.025 है0 चौड़ाई में रास्ता मौके पर चालू है तथा इसी अनुसार प्रार्थीगण चालू रास्ता को स्वीकृत करवाने के अधिकारी है।

मद सं0 4 में वर्णित 2–2 बिस्वा चौड़ा रास्ता सैकडों वर्षो से मौके पर चालू है जिस पर सदामत से गांव रतनपुरा के ग्रामवासी तथा प्रार्थीगण अपने खेतों व गांव से भादरा आवागमन के रूप में काम में लेते आ रहे है। मौके पर भी उक्त रास्ता चालू है। लेकिन सहबन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण उक्त चालू रास्ता को रिकार्ड में स्वीकृत करवाकर उपरोक्त वर्णितानुसार दर्ज करवाने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 3, 5, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 1, 2, 4, 6 ता 13, 18, 23, 29, 36, 46 ने जबाब पेश किया। अप्रार्थी सं0 11 जबाब पेश नहीं करना चाहता है। प्रतिवादी सं0 55 पेरोकारराज की ओर से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 2016 तपसीराम बनाम रामकुमार व अन्य रिविजन नं0 6914/गंगानगर ऑफ 2015 पेज सं0 229 से 232 पेश कर कथन किया कि मैने जो नक्शा पेश किया है उसमें दिखाया गया रास्ता रतनपुरा आबादी से मेरे खेत तक जाता है। अप्रार्थी सं0 6, 7, 8, 9 के मु0नं0 72 व 73 की कृषि भूमि है जिसमें से अप्रार्थीगण ने रास्ता रोक दिया। मु0नं0 72 व 73 के अन्य खातेदारों ने कोई जबाब पेश नहीं किया है वे सभी एक्सपार्टी है। अप्रार्थीगण सं0 2, 4, 23, 29, 36 ने मेरे प्रार्थना पत्र के जबाब में इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया है। मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, जिसमें नक्शा संलग्न है। नक्शा में लाल लाईन से रास्ता मार्क किया गया है। दो वैकल्पिक रास्तों का उल्लेख किया गया है, मगर वैकल्पिक रास्ता बहुत दूर है उसके लिए पहले गांव से भादरा आना पड़ता है। मौका रिपोर्ट में चालू रास्ता का उल्लेख है चालू रास्ता सभी रकबों में आज भी चालू है, मगर अप्रार्थीगण 6 ता 9 ने अपने रकबों में रास्ता बन्द कर रखा है जिसका रिपोर्ट में उल्लेख है। मेरे ग्राम की आबादी भूमि में मेरे खेत तक आने का कोई सीधा रास्ता नहीं है जो रास्ते है वो अन्य कस्बा, ग्राम व चक से होकर आते है। चालू रास्ता रोका न जाए, चालू रास्ता को स्वीकृत किया जाऐ।

वकील अप्रार्थीगण ने न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2016–17 (supp.) पेज सं0 677 से 680, आरआरटी 2017(1) पेज सं0 423 से 426, डीएनजे(राज0) पेज सं0 454 से 456,सीसीसी 2012(1) पेज सं0 244 से 255 पेश कर बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण सं0 1, 10 से 13 व 18 सबके अलग अलग खेत है, सबको अपने खेतों बाबत अलग अलग रास्ते चाहिए। जब सबके हित अलग अलग है तो संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र पेश करना विधि सम्मत न्यायोचित नहीं है। ये चालू रास्ता जो कि 100 वर्षो से चल रहा है सुखाधिकार के आधार पर प्रार्थना पत्र लाऐ है। सुखाधिकार के आधार पर दावा/प्रार्थना पत्र सुनने का श्रवणाधिकार इस कोर्ट को नहीं है। 251ए उसी परिस्थिति में लाया जाता है जब अन्य कोई रास्ता न हो। प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ते है। जिनके विरूद्ध एक्स पार्टी हुई है या जिन्होने इकबालदावा दिया है ये वो

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (जिला- हनुमानगढ़)

काश्तकार है जिनका संयुक्त खाता में जमीन है मगर जहां से रास्ता चाहा गया है वहां उनका कब्जा नहीं है। इसलिए उन्होने इकबाल प्रार्थना पत्र दे दिये क्योंकि वे प्रभावित नहीं हो रहे है। किला नं0 18 के बीचो बीच में से तिरछा रास्ता मांगा गया है जो कि न्यायसंगत नहीं है। जोहडी पानी भराव के लिए है उसके बीच में से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है। पूर्व में मंजूरशुदा रास्ता, जानबुझकर तंग परेशान करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

रतनपुरा गांव की आबादी मु0नं0 56 में है। गांव की आबादी से मु0नं0 57, 58, 59 में 59 का रकबा अप्रार्थीगण 4 से 9 का है। 59 नं0 रकबा में कटान का रास्ता है। प्रार्थीना पत्र में प्रस्तुत नक्शा में जो प्रस्तावित रास्ता है वो रास्ता कहीं भी कटान का रास्ता नहीं है। जबाब प्रार्थना पत्र में सभी अप्रार्थीगण के रकबा का वर्णन है। प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी पक्षकार ने रास्ता चालू होने के शपथ पत्र नहीं दिया है। मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता अप्रार्थीगण के खेत में बन्द है। प्रार्थीगण के खेतों में जाने हेतु मु0नं0 56 आबादी से चालू होकर पूर्व की ओर जाकर मु0नं0 54 की ओर उतर की ओर उपर मु0नं0 35, 36, 37, 38, 28 तक जाता है। मु0नं0 28 से दक्षिण की ओर कटान का मार्ग चलता है जो कि मु0नं0 39, 50, 61, में से होता हुआ मु0नं0 71 में प्रवेश कर आगे प्रार्थीगण के खेतों की ओर जाता है। दूसरा रास्ता ग्राम रतनपुरा से भादरा की ओर जाता है। भादरा से उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खेतों की ओर जाता है। जब कटान के दो दो मार्ग उपलब्ध है। फिर भी प्रस्तावित रास्ता पटवारी से तैयार करवाकर प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर दिया।

बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सादर अध्ययन किया।

प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि तक पहूंच हेतु पूर्व से चालू रास्ते को स्वीकृत करने का निवेदन किया है। उक्त प्रस्तावित रास्ता ग्राम की आबादी से प्रार्थी की कृषि भूमि तक विभिन्न काश्तकारों (अप्रार्थीगण) के खेतों से होकर गुजरता है, जो कि संयुक्त खातेदारी काश्तकारी भूमियां है। संयुक्त खातेदारी काश्तकारी भूमियों के कुछ काश्तकारों ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के जबाब में इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किये व कुछ काश्तकारों ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया, जिसमें काश्तकार को अपने खेत तक कृषि कार्य बाबत नया रास्ता स्वीकृत करवाने की सुविधा दी गई है जिसकी दो आवश्यक शर्ते है– 1. रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता 2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र, गिरदावर रिपोर्ट, नक्शा व बहस उभय पक्षकारान से यह तथ्य न्यायालय के समक्ष आए है कि प्रार्थी की कृषि भूमि तक पहूंच हेतु दो अन्य वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध है जिनमे से एक ग्राम आबादी से मु0नं0 56., 55, 34, 35, 36, 37, 38, 28, 39, 50, 61, 71 तक जाता है, जहां से आगे प्रार्थी के खेतों तक आवागमन सम्भव है। दूसरा रास्ता ग्राम रतनपुरा से कस्बा भादरा होकर प्रार्थी के खेतों तक पहूंच कायम करता है। भले ही दोनों रास्ते प्रस्तावित रास्ता की बजाय अधिक लम्बाई के है मगर वैकल्पिक रास्ते के रूप में उपलब्ध है जिनसे प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अपनी कृषि भूमि तक पहूंच सकता है। जब वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध है तो प्रार्थी की अपनी कृषि भूमि तक पहूंच व काश्त सम्भव है तो प्रार्थी का आत्यन्तिक आवश्यकता का बिन्दू भी साबित नहीं है।

उक्त दोनों बिन्दु प्रार्थीगण साबित करने में असफल रहे है। जहां तक प्रार्थी द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता के सदामत से चालू होने के आधार पर उपयोग उपभोग का प्रश्न है प्रार्थीगण उसके सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में अलग से प्रार्थना पत्र या वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। प्रस्तावित रास्ता का जिन अप्रार्थीगण ने विरोध किया है उक्त रास्ता की बजाय जिन अप्रार्थीगण ने इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उनकी कब्जा काश्त से रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है अर्थात् जिन मुरब्बा किला के काश्तकार रास्ता हेतु परस्पर सहमत है तो वे उसके लिए विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा उक्त रास्ता को रिकार्ड में इन्द्राजात करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में अलग से विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित करने में असफल रहे है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण साबित नही होने पर स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)